



25

न्यायालय राजस्व मण्डल ग्वालियर म.प्र.

पुनरीक्षण क्रमांक /2014 R-1084-1114

दिनांक 3-4-14 को
श्री दिवाकर कोहिल को
द्वारा उपलब्ध
3-4-14

भवूत सिंह पुत्र स्व. श्री सूरत सिंह लोधी
आयु-65 वर्ष, व्यवसाय-कृषक, निवासी-
ग्राम भडौता, गुढा, तहसील कोलारस,
जिला शिवपुरी (म.प्र.)

— आवेदक

बनाम

ओंकार सिंह पुत्र श्री छीतरिया गडरिया
आयु-लगभग 60 वर्ष, व्यवसाय-कृषि,
निवासी- ग्राम भडौता, गुढा, तहसील
कोलारस, जिला शिवपुरी (म.प्र.)

— प्रत्यर्थी

Dinakar Aisat

न्यायालय अपर आयुक्त ग्वालियर म.प्र. द्वारा प्रकरण क्रमांक
154/2012-13 अपील माल में पारित आदेश दिनांक 26-02-2014
के विरुद्ध म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 की धारा () के
अधीन पुनरीक्षण

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से अपील निम्न प्रकार प्रस्तुत है :-

- 1- यह कि, विद्वान अधीनस्थ द्वितीय अपील न्यायालय का आदेश अवैध अनुचित तथा विधि के उपबंधों के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है।
- 2- यह कि, विद्वान अधीनस्थ द्वितीय अपील न्यायालय द्वारा प्रकरण को समझने में त्रुटि की गई है। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी के भूमि स्वामी स्वत्व की भूमि सर्वे क्रमांक 89, ⁹⁰ व 91 पर जो टपरिया बनी हुई है वह अपीलार्थी की स्वत्व, स्वामित्व एवं आधिपत्य की जमीन पर बनी हुई है।

M

R1084/III/14 शिवपुरी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षक एवं अभिभा 3 के हस्ताक्षर
15-7-16	<p>प्रश्नः</p> <p>आवेदक अफि. अ. विवेक उपात अनुपस्थित / अनावेदक के अंत. की आर. डी. अर्थ उप. आवेदक के तीन वर आवेदक लम्बे गड / परन्तु कोई उप. नहीं प्रकृत अरुम परती में समाप्त किया गया है</p> <p style="text-align: right;">[Signature] [Name]</p>	Not 15-

m